

राजस्थान सरकार
विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक :- एफ.28()पंरावि/प्रशा-2/ग्राविअ/स्था-पद/2021/ 2720

जयपुर, दिनांक:-
10/10/2022

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद- जयपुर।


विषय :- ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण/पदस्थापन बाबत।

निर्देशानुसार निम्न ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश उनकी संस्थापन संबंधी सूचना से मिलान कर, नियमानुसार जारी करते हुए, विभाग को अवगत करावें :-

क्र.स	नाम	कहाँ से	कहाँ को
1	महावीर शर्मा	ग्रा0पं0 राजावास, पं0सं0 जालसू, जयपुर	ग्रा0पं0 उदयपुरिया, पं.स0 जालसू, जयपुर


नोट :-

1. उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन कार्मिक के सही नाम एवं पदनाम से है।
2. यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे।
3. यदि किसी कार्मिक की परिवीक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे।
4. यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किसी अन्य कार्मिक के स्थान पर किया जा रहा है तो प्रभावित कार्मिक को अन्य निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित किया जावे।
5. यदि कोई ग्राम विकास अधिकारी निलम्बित चल रहा है तो उसका स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे।


(डॉ. रौनक बैरागी)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग।
- 2-विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग।
- 3-निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 4-निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग जयपुर।
- 5-निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 6-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
- 5-एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 6-आदेश पत्रावली।


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)